न्यायालय संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी डॉ. नीरज के. पवन, आई.ए.एस

अपील संख्याः 03/2022 शस्त्र अधिनियम्
GCMS No. 2022/131

सुरेन्द्र कुमार पुत्र श्री रामलाल जाति जाट उम्र 58 वर्ष निवासी शहीद भगत सिंह कॉलोनी, पी.एस. जेएनवीसी, बीकानेर।

———अपीलान्ट

——बनाम——

स्टेट ऑफ राजस्थान।

———रेस्पोडेन्ट

उपस्थितः– श्री बी.एल. जाट — अभिभाषक अपीलांट

श्री गजेन्द्र सिंह — अभियोजन अधिकारी, राज्य पक्ष की ओर से।

निर्णय

दिनांक : 16.11.2022

1. यह अपील शस्त्र अधिनियम, 1959 की धारा 18 के अन्तर्गत जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, बीकानेर के आदेश दिनांक 03.06.2022 के विरूद्ध यह अपील प्रस्तुत की गई है।
2. अपील में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट के नाम से शस्त्र अनुज्ञा पत्र सं. 488/पी.एस सदर/डीएम एएसआर/96 जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अमृतसर द्वारा जारी शुदा है, जो दिनांक 30.06.2022 तक नवीनीकृत है। उक्त शस्त्र अनुज्ञापत्र में तीन शस्त्र 12 बोर डीबीबीएल गन नं. 96/21485, 315 बोर राईफल नंबर एबी07–11345 एवं 32 बोर रिवाल्वर नंबर एफजी–8525 दर्ज है। अपीलांट ने राज्य सरकार के आदेशानुसार तीन शस्त्र की जगह दो शस्त्र रखने के आदेश की पालना में एक 12 बोर डीबीबीएल गन नं. 96/21485 को जमाराज करवाने के लिये आवेदन पत्र जिला मजिस्ट्रेट बीकानेर के समक्ष प्रस्तुत किया। पुलिस थाना जयनारायण व्यास कॉलोनी बीकानेर ने उक्त गन जमाराज करने से मना कर दिया। उक्त तीन शस्त्रों में एक 12 बोर डीबीबीएल गन नं. 96/21485 दिनांक 26.01.2021 को दुर्घटना के दौरान इसके दो टुकड़े हो गये। अपीलांट के पास इस गन का केवल एक हिस्सा ही

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

बचा, जिसकी सूचना पुलिस थाना बीछवाल द्वारा रोजनामचे में दिनांक 27.01.2020 को देनदिनी सं. 67 पर दर्ज कर दी गई। रोजनामचे के विवरण एवं प्रार्थना पत्र दिनांक 01.12.2020 को जिला मजिस्ट्रेट बीकानेर के यहां प्रस्तुत कर टूटी हुई गन को अनुज्ञा से हटाने एवं बाकि दो गन का अनुज्ञापत्र नवीनीकरण करने का निवेदन किया। जिला मजिस्ट्रेट बीकानेर ने उक्त टूटी हुई गन के अतिरिक्त अन्य दो हथियारों में से एक शस्त्र को संबंधित पुलिस थाने में जमा कराने के संबंध में आवेदन प्रस्तुत करने के आदेश दिनांक 24.02.2022 पारित किए, जिसके विरूद्ध अपीलांट ने अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष आपत्ति प्रस्तुत की। जिला मजिस्ट्रेट बीकानेर ने अपीलांट की उक्त आपति को ग्राह्य नहीं बताते हुए आदेश दिनांक 24.02.2022 में जारी निर्देशों के अनुरूप कार्यवाही करने हेतु दिनांक 03.06.2022 को आदेश जारी किया। अधिनस्थ न्यायालय के उक्त आदेश दिनांक 03.06.2022 से व्यथित होकर अपीलांट ने इस न्यायालय में अपील प्रस्तुत की।

3. प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड तलब किया गया। विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट तथा राज्य पक्ष की ओर से उपस्थित अभियोजन अधिकारी की बहस सुनी गयी।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपनी बहस में मुख्य रूप से कथन किया है कि अपीलांट के नाम से शस्त्र अनुज्ञा पत्र सं. 488/पी.एस सदर/डीएम एएसआर/96 जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अमृतसर द्वारा जारी शुदा है, जो दिनांक 30.06.2022 तक नवीनीकृत है। उक्त शस्त्र अनुज्ञापत्र में तीन शस्त्र 12 बोर डीबीबीएल गन नं. 96/21485, 315 बोर राईफल नंबर एबी07–11345 एवं 32 बोर रिवाल्वर नंबर एफजी–8525 दर्ज है। अपीलांट ने राज्य सरकार के आदेशानुसार तीन शस्त्र की जगह दो शस्त्र रखने के आदेश की पालना में एक 12 बोर डीबीबीएल गन नं. 96/21485 को जमाराज करवाने के लिये आवेदन पत्र जिला मजिस्ट्रेट बीकानेर के समक्ष प्रस्तुत किया। पुलिस थाना जयनारायण व्यास कॉलोनी बीकानेर ने उक्त गन जमाराज करने से मना कर दिया। उक्त तीन शस्त्रों में एक 12 बोर डीबीबीएल गन नं. 96/21485 के दिनांक 26.01.2021 को दुर्घटना के दौरान दो टुकड़े हो गये। अपीलांट के पास इस गन का केवल एक हिस्सा ही बचा, जिसकी सूचना पुलिस थाना बीछवाल द्वारा रोजनामचे में दिनांक 27.01.2020 को देनदिनी सं. 67 पर उक्त सूचना दर्ज कर दी गई। रोजनामचे के विवरण एवं प्रार्थना पत्र

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

दिनांक 01.12.2020 को जिला मजिस्ट्रेट बीकानेर के यहां प्रस्तुत कर टूटी हुई गन को अनुज्ञा से हटाने एवं बाकि दो गन का अनुज्ञापत्र नवीनीकरण करने का निवेदन किया। जिला मजिस्ट्रेट बीकानेर ने उक्त टूटी हुई गन के अतिरिक्त अन्य दो हथियारों में से एक शस्त्र को संबंधित पुलिस थाने में जमा कराने के संबंध में आवेदन प्रस्तुत करने के आदेश दिनांक 24.02.2022 पारित किए, जिसके विरुद्ध अपीलांट ने अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष आपत्ति प्रस्तुत की। जिला मजिस्ट्रेट बीकानेर ने अपीलांट की उक्त आपति को ग्राह्य नहीं बताते हुए आदेश दिनांक 24.02.2022 में जारी निर्देशों के अनुरूप कार्यवाही करने हेतु दिनांक 03.06.2022 को आदेश जारी किया। अपीलांट के शस्त्र अनुज्ञा को विना किसी कानूनी आधार के नवीनीकरण नहीं किया जा रहा है। अपीलांट ने राज्य सरकार के आदेशानुसार तीन शस्त्रों में से एक शस्त्र 12 वोर डीबीबीएल गन नं. 96/21485 का वाकि बचा हुआ बॉडी ग्रुप के हिस्से को जमाराज सीकर गन स्टोर में दिनांक 9.12.21 को जमा करवा दिया, जिसकी प्राप्ति रसीद अपीलांट व पी.एस. जेएनवी तथा जिला मजिस्ट्रेट बीकानेर को प्रेषित कर दी, जो संबंधित को प्राप्त हो चुकी है। अपीलांट को दोनों गन की आवश्यकता है, क्योंकि अपीलांट बैंक ऑफ बड़ौदा व पावर ग्रीड जामसर में गन मैन की ड्यूटी करता है। अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलांट की आपति को बिना सूचना दिये दिनांक 03.06.2022 को खारिज कर दिया। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा राज्य सरकार की स्वतंत्र पुलिस एजेंसी व जिला पुलिस बीकानेर से उक्त दुर्घटना के संबंध में जांच करवाई गई, जो सही पायी गई। अधिनस्थ न्यायालय ने उक्त जांच को दरकिनार करते हुए तथा विधिविरूद्ध आलौच्य आदेश पारित किया है, जो सही नहीं है। अपीलांट को दोनो शस्त्रों की सख्त आवश्यकता हैं क्योंकि एक शस्त्र अनुज्ञा से अपीलांट के छोटे भाई विरेन्द्र के द्वारा अपनी सुरक्षा के लिये वहन किया जा रहा है, जिसका इंद्राज अपीलांट के अनुज्ञापत्र में भी है। अपीलांट एक रिटायर्ड फौजी है और बैंक ऑफ बड़ौदा और पावर ग्रीड जामसर में गन मैन की ड्यूटी करता है, जहां उसे गन की आवश्यकता रहती है। अपीलांट गन मैन की नौकरी करने के लिये तथा व्यक्तियों की जान माल की सुरक्षा के लिये उपयुक्त व्यक्ति है तथा उसे हथियार की रखरखाव व इस्तेमाल करने की ट्रेनिंग भारतीय सेना से प्राप्त है। अपीलांट के पास वर्ष 1996 से शस्त्र अनुज्ञापत्र हैं तथा अपीलांट ने इसका कभी

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

भी दुरूपयोग नहीं किया हैं। अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर अनुज्ञा पत्र सं. 488/पी.एस सदर/डीएम एएसआर/96 का नवीनीकरण किये जाने का आदेश जिला मजिस्ट्रेट बीकानेर को दिया जावे।

5. विद्वान अभियोजन अधिकारी श्री गजेन्द्र सिंह ने राज्य पक्ष की ओर से बहस करते हुए कथन किया कि जिला मजिस्ट्रेट बीकानेर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 03.06.2022 न्यायोचित है। अतः अपील अपीलांट खारिज फरमाई जावे।

6. हमने विद्वान अभिभाषक अपीलांट तथा राज्य पक्ष की ओर से अभियोजन अधिकारी द्वारा की गई बहस एवं अधिनस्थ न्यायालय के अभिलेख का गहनता से अध्ययन व मनन किया। अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट बीकानेर को निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण में सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए अपीलांट के शस्त्र अनुज्ञा पत्र सं. 488/पी.एस सदर/डीएम एएसआर/96 में इन्द्राज शस्त्र 315 बोर राईफल नं. एबी07–11345 एवं 32 बोर रिवॉल्वर नंबर एफजी–8525 के नवीनीकरण की नियमानुसार कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें।

7. तद्अनुसार अपील अपीलान्ट निर्णित शुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय की प्रति अपील पत्रावली में शामिल की जाकर बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 16.11.2022 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. नीरज के. पवन)
संभागीय आयुक्त
बीकानेर